सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय
(Supreme Court)

उच्चतम न्यायालय की मुख्यपीठ नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन यह नई दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। इस अन्य स्थान का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है।

न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता
(Eligibility for Appointment of Chief Justice)

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो।
3. वह राष्ट्रपति की राय में लब्ध प्रतिष्ठ (distinguished) विधिवेत्ता हो।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
(Appointment of Chief Justice)

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 124) की जाती है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के

Scanned with CamScanner

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।

संविधान के प्रवर्तन के बाद यह प्रथा अंगीकार की गई कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया गया है। 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Other Judges)

मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 124)। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझता है।

कॉलेजियम व्यवस्था (Collegium System)

6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जिसके अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए और यदि किसी मामले में मुख्य न्यायाधीश की राय न मानी जाए, तो इसका कारण बताया जाना चाहिए।

वर्तमान सरकार ने नियुक्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और व्यापक आधार देने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission—NJAC) की स्थापना की घोषणा की, जिसको उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में दिए अपने महत्त्वपूर्ण निर्णय में निरस्त कर दिया। इस पर नेट परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तब तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार वृद्धि की गई है। वर्ष 2008 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करने का निर्णय लिया गया।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उनके पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं।

कार्य अवधि

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रहता है, यदि वह राष्ट्रपति द्वारा असमर्थता या कदाचार से अपने पद से न हटा दिया जाए। राष्ट्रपति असमर्थता या कदाचार के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का आदेश तब पारित करता है, जब संसद दो-तिहाई बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव अर्थात् महाभियोग पारित करे।

इसके अतिरिक्त न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के पहले वह अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है।

वेतन तथा भत्ता

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समस्त वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं।

सम्पत्ति की स्वैच्छिक घोषणा

अगस्त, 2009 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Supreme Court)

उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं:

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं, जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं:

1. भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में,
2. भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में,
3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में, जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है।

Scanned with CamScanner

समवर्ती प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Concurrent Jurisdiction)

मूलाधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास समवर्ती प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार हैं। इन अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellite Jurisdiction)

देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में निम्न मामलों में अपील की जा सकती है।

संवैधानिक विषय (Constitutional Matters)

जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने भिन्न-भिन्न निर्णय दिए हों और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो।

दीवानी विषय

जब मामलों में विधि या सार्वजनिक महत्त्व का कोई सारभूत प्रश्न शामिल है।

आपराधिक विषय

उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को परिवर्तित करके उसे मृत्यु दण्डादेश दिया है। उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है, कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है।

विशेष अनुमति से अपील

जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे, तब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय न तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है।

पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार (Review Jurisdiction)

उच्चतम न्यायालय को संसद या विधान मण्डलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है।

अन्तरण (Transfer) का क्षेत्राधिकार

1. वह उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को अपने यहाँ अन्तरित कर सकता है।
2. वह किसी उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।

जनहित याचिका (Public Interest Litigation—PIL)

भारत में जनहित याचिका (वाद) को प्रारम्भ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर को जाता है, जिसका प्रारम्भ 1970 के उत्तरार्द्ध में हुआ। जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण, आदि विषय आते हैं। इसमें कोई व्यक्ति या संस्था उपरोक्त विषयों पर न्यायालय को सूचित करते हैं, फिर न्यायालय स्वयं उसकी जाँच कराकर या वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निचली अदालतों को ऐसे वादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

उच्च न्यायालय (High Court)

भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है, जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। राज्यों में न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय अदालत सम्मिलित हैं, भारतीय संसद दो या दो से अधिक ऐसे राज्यों, या केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए विधि द्वारा उभयनिष्ठ (common) उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है।

भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में वर्ष 2013 में स्थापित किए गए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसको वर्ष 1862 में स्थापित किया गया था।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद होती है।

राष्ट्रपति प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। जहाँ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित है, वहीं उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है। यह निर्णय राष्ट्रपति पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge)

उपरोक्त के अलावा राष्ट्रपति लंबित मामलों की सुनवाई के अस्थायी अवधि, जो कि दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने में सक्षम है।

Scanned with CamScanner